छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
"मंत्रालय"
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक/2822/1700/2020/18 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक : 30/05/2020

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़।
2. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम
   छत्तीसगढ़।
3. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
   छत्तीसगढ़।

विषय :— नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संकमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम **एवं नियंत्रण** हेतु समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे —

1. दुकानों एवं प्रतिष्ठानों, जिन्हें भारत सरकार/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है, को छोड़कर, शेष दुकान/प्रतिष्ठान सप्ताह में 06 दिवस खोले जायेगें किन्तु प्रतिदिन सांय 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक, अनिवार्यतः बंद रखा जावेगा।

2.- ऐसे बाजार, जहां सामान्यतः अत्यधिक भीड़ रहने की संभावना हो, वहाँ भीड़ को कम/नियंत्रित करने हेतु स्थानीय स्तर पर उचित कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाए।

3. स्थानीय पथ विक्रेताओं हेतु वांछित फिजिकल डिस्टेन्स के सिद्धांत का पालन करते हुए स्थान एवं समय स्थानीय प्रशासन नगरीय निकायों के द्वारा तैयार कर उसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. बिंदु क्रमांक 1, 2 एवं 3 हेतु स्थानीय व्यावसायिक संगठनों से पूर्व—परामर्श भी कर लिया जावे।

5. प्रत्येक क्वारंटाइन सेंटर हेतु एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए। प्रभारी अधिकारी सेंटर की सम्पूर्ण व्यवस्था, जिसमें साफ—सफाई, खान पान, चिकित्सकीय जॉच, कोरोना परीक्षण का पर्यवेक्षण आदि के लिए जिम्मेदार रहेंगे। दो या दो से अधिक क्वारेंटाइन सेंटर के पर्यवेक्षण हेतु जोनल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएँ। इसके अतिरिक्त क्वारेंटाइन सेंटरों में व्यवस्था के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :—

(i) क्वारेंटाइन सेंटर हेतु सुरक्षित भवनों का चयन सुरक्षा हेतु निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जाये।

(ii) ग्रीष्म—ऋतु के कारण क्वारेंटाइन सेंटर में सर्पदंश आदि के प्रकरणों के कारण जन—हानि की संभावना होती हैं, अतः समस्त सेंटर में उचित साफ—सफाई, खुले में शयन पर निषेध, दरवाजों/खिड़कियों के गैप को बंद करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

(iii) क्वारेंटाइन सेंटर में कूलर/पंखे आदि की व्यवस्था अनिवार्यतः की जाए। क्वारेंटाइन सेंटर में शौचालयों की साफ सफाई हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

(iv) क्वारेंटाइन सेंटर में मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था (TV, रेडियो आदि) भी किए जाने का प्रयास किया जाए। उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थानीय NGO एवं सामाजिक संगठनों की सहायता ली जा सकती है ।

(v) क्वारेंटाइन सेंटर में प्रदाय की जा रही खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्ता की हो। साथ ही शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

(vi) क्वारेंटाइन सेंटर में 14 दिवस पूर्ण कर चुके asymptomatic व्यक्तियों को घर प्रस्थान करने की अनुमति दी जाए। Symptomatic व्यक्तियों की स्वास्थ्य जाँच हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए।

(vii) क्वारेंटाइन सेंटर में रहे व्यक्ति सेंटर से प्रस्थान करने के पश्चात् सात से दस दिन तक अपने निर्धारित गृह स्थल पर ही रहें, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी, नगरीय निकायों की होगी।

(viii) क्वारेंटाइन सेंटरों में कार्य करने वाले नगरीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी तथा सफाई कार्यो में संलग्न सफाई कर्मी कोविड–19 हेतु जारी सुरक्षा उपकरणों सहित कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे।

कृपया निर्देश का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें।

30/5/20

(आर.एक्का)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्रमांक/ 2823 /1700/2020/18 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक : 30/05/2020

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर नवा रायपुर।
3. समस्त संभागायुक्त, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा एवं बस्तर।
4. संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रावती भवन छ.ग.।
5. समस्त संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग.।
6. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7. रिकार्ड फाईल,

30/5/20

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner